बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना से मल निस्राव द्वारा बस्तर में शंकनी नदी में प्रदूषण

1756. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना से मल स्राव द्वारा बस्तर जिले में शंकनी नदी का पानी प्रदूषित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसको रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं, और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों को पेय जल उपलब्ध की व्यवस्था कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) इस समय दो लौह-अयस्क खान चालू हैं । एक खान में सम्पूर्ण बहिस्राव उपचार संयंत्र की स्थापना हुई है । दूसरी खान में कणिकाओं को निर्धारित करने का एक निर्मलकारी संयंत्र लगा हुआ है । इस खान के लिये भी प्रभावी प्रदूषण शोधक संयंत्र लगाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना ने 22 प्रभावित गांवों को स्वच्छ पेय जल प्रदान करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की हुई थी ।

बस्तर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

1757. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर को आदिवासी पिछड़ा जिला होने के बावजूद अब तक औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस जिले को कब तक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बस्तर को अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्रदान करने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जा चुका है । तथापि, बस्तर जिले के किसी भी भाग को निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना के लिये पात्र माने गये पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु स्थापित की गई राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक विकास के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग में जांच की जा रही है । पिछड़े जिलों क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई भी परिवर्तन करना इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच और उस पर सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति पर निर्भर करेगी ।

Reluctance of foreign companies for setting up of new Industries in India

1758. SHRI NAVIN RAVANI:
SHRI MOHAN LAL PATEL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether inspite of incentives and concessions given to foreign companies, they are reluctant to open new industries in India;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any study has been made in this regard; and

(b) if so, the reasons therefor;

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b). Companies with more than 40 per cent foreign equity and which are subject to the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 can only estab-